ALLOTMENT OF TIME FOR CONSIDERATION OF THE APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 5 BILL 1960

MR. CHAIRMAN: Under the Rules of this House forty-five minutes are allotted for the completion of all stages involved in the consideration and return of the Appropriation (Railways) No. 5 Bill, 1960, by the Rajya Sabha including the consideration and passing of amendments, if any, to the Bill.

RESOLUTION RE. REPORT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE—Continued

MR. CHAIRMAN: We now pass on to the discussion of the Government Resolution moved by Shri Ramaswamy on the 8th December.

श्री भगवत नारायण भागव (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, रेलवे कन्वेन्शन कमेटी की रिपोर्ट को आद्योपांत पढ़ने से एक बड़ा जबर्दस्त इम्प्रेशन पढ़ने वालों के ऊपर यह होता है कि रेलवेज की फाइनेन्शल कंडीशन बहुत खराब है। अगर मैं यह कहं कि होपलेस है तो वह भी कोई ग्रतिशयोक्ति न होगी । रेलवे विभाग के खर्ची के ऊपर ग्रगर थोड़ी सी भी दिष्ट डाली जाय ग्रीर इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाय तो यह पता चलता है कि हम इस बात की कोशिश नहीं करते कि जो रुपया व्यर्थ में बर्बाद होता है उसको बचायें भौर जो बचाने योग्य है उसे भी बचाया जाय। बडी बडी इमारतें इस डिपार्टमेंन्ट में बनती हैं अगैर शायद इतनी बड़ी इमारतें और किसी दूसरे में न बनती हो । तो देखना यह है कि बजाय इसके कि हम जनरल रेवेन्युज से कर्जा लें या हम डिविडेन्ड के रेट को कम करें या बढ़ायें या हम पैसेन्जर फेयर टैक्स को न देने की सोचें, इन सब बातों से बढ कर यह बात है कि जो खर्चा होता है उस पर हम कड़ी निगाह रखें श्रीर उसे बर्बाद होने से बचावें।

रेलवे के नेट सरप्लस की तो बहत ही बरी हालत है। जैसा कि पेज ६ से जाहिर होगा पांच व में ग्रास सरप्लस ८०८ करोड रुपये होगा । उसमें से ३८७ करोड तो सवा ४ परसेन्ट के हिसाब से जो डिविडेन्ड देना है वह निकल जाता है ग्रीर ६० करोड ग्रोपन लाइन वर्क्स में निकल जाता है श्रीर जैसा कि ग्रब डेप्रिसियेशन रिजर्व फन्ड के लिये रेट रखा गया है, ३५० करोड रुपया वह निकल जायगा । इस तरह से ७६७ करोड़ रुपया कम करके केवल ११ करोड़ रुपया सरप्लस में रहता है, जबकि यह बात जाहिर है कि डेवलपमेंट फन्ड के लिये ११५ करोड़ रुपये की ग्रावश्यकता होगी । तो यह रुपया कहीं दूसरे फंड से नहीं ग्राता है, कहीं से नहीं आ सकता। इसके लिये हमको एकानामी के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा ।

पैसेन्जर फेयर टैक्स के संबंध में जो इस रिपोर्ट में कहा गया है उसके बारे में फाइने-न्शियल कमिइनर तो यहां तक समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक लाइन्स के ऊपर जो नक्सान है वह भी जनरल रेवेन्यज से पुरा कर लिया जाय स्रीर जो पैसेन्जर फेयर टैक्स है वह भी सब ले लिया जाय फिर भी हालत नहीं सुधर सकेगी । इस क़दर गम्भीर और खतरनाक हालत रेलवे फाइनेन्सेज की है। रेलवे कमिश्नर कहते हैं कि सन १६५७ में यह पैसेन्जर फेयर टैक्स-जारी किया गया था ग्रीर सन् १९५६-५७ में २० करोड़ ६० सरप्लस था। परन्तु वे कहते हैं कि इसकी ज्बादा आगे बढ़ने की कोई आशा नहीं है ग्रगले पांच वर्षों में । परन्तु यह बात उस स्टेटमेन्ट से ग़लत साबित होती है जो स्टेटमेंट पेज ५ पर दिया हुआ है। उसमें नेट सरप्लस सन् १६५६-६० का २० १२ करोड दिखाबा है। तो यह कहना कि आगे कोई आशा इसके